# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर जिला जयपुर

RCMS No.–2018/00097

अपील संख्याः 68/2018

भागीरथ गोदारा पुत्र स्व. श्री के.आर. गोदारा आयु लगभग 62 वर्ष जाति जाट, निवासी–33/74, शिप्रापथ मानसरोवर, जयपुर। ...अपीलांटस

बनाम

1. आनन्दराधा इन्फ्रा प्रा. लि. कार्यालय 68/178, रजत पथ, न्यू सांगानेर रोड, मानसरोवर, जयपुर जरिये निदेशक।
2. श्री सालासर ओवरसीज प्रा.लि. कार्यालय बी–14–15, हीरानगर, गंगा जमुना तिराहा, मानसरोवर, जयपुर।
3. तहसीलदार (भू.अ.)

.....रेस्पाडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम
विरूद्ध आदेश दिनांक 29.08.2018 तहसीलदार (भू.अ.) सांगानेर
प्रकरण संख्या भू.अ./नामकरण/2018/4967

---

उपस्थितः–
1 अधिवक्ता श्री रामावतार तमोलिया अपीलांट की ओर से।
2. रेस्पाडेन्ट संख्या 3 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित।

## निर्णय

दिनांकः 10.10.2019

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार, सांगानेर द्वारा प्रकरण संख्या भू.अ./नामान्तकरण/2018/4967 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 29.08.2018 से असंतुष्ट होकर दिनांक 03.10.2018 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस रेस्पाडेन्टस जारी करने तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये। रेस्पाडेन्ट संख्या–1 व 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। रेस्पाडेन्ट संख्या–3 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सांगानेर से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर शामिल मिसल की गयी। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। पत्रावली पर बहस विद्वान उभय पक्ष अधिवक्ता सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम जयसिंहपुरा बास भांकरोटा पटवार हल्का जयसिंहपुरा, तहसील सांगानेर में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 709 रकबा 0.1000 है0, खसरा नंबर 710 रकबा 0.8330 हैक्टेयर, ख.न. 713 रकबा 0.1700 है0, ख.न. 713/1082, रकबा 0.0100 है0, ख.न. 713/1083 रकबा 0.0590 है0, ख.न. 717 रकबा 0.5000 है0 ख.न. 718 रकबा 0.09 है0, ख.न 706 रकबा 2.84 है0, ख.न. 708 रकबा 0.54 कुल किता 9 कुल रकबा 4.3000 हैक्टेयर भूमि में से हिस्सा 1/12 की खातेदारी श्रियाराम उर्फ

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

श्रीराम पुत्र गणेश के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। उक्त भूमि को श्रियाराम उर्फ श्रीराम द्वारा अपीलार्थी एवं श्री सूरजाराम को विक्रय करने का दिनांक 08.03.2002 को इकरारनामा किया गया था तत्पश्चात श्रियाराम उर्फ श्रीराम द्वारा उक्त भूमि का बेचान दिनांक 28.03.2006 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये रेस्पाडेन्ट संख्या 2 को कर दिया। तदोपरान्त अपीलांट एवं सूरजाराम द्वारा न्यायालय जिला न्यायाधीश, जिला जयपुर के समक्ष दीवानी वाद संख्या 49/2007 एवं सी.वी.एन.न. 1670/2014 प्रस्तुत किया जिसे रेस्पा0 संख्या 2 के हक में निष्पादित विक्रय पत्र निरस्त कर दिया गया एवं अपीलांट व सूरजाराम से बकाया राशि प्राप्त कर विक्रय पत्र पंजीयन करवाने की डिक्री दिनांक 11.08.2017 को पारित की गई। अपीलांट द्वारा उपपंजीयक द्वितीय सांगानेर के समक्ष न्यायालय जिला न्यायाधीश, जिला जयपुर के द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की जिसके कम में उपपंजीयक द्वितीय सांगानेर के आदेश कमांक 11375 दिनांक 26.06.2018 द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने पर उक्त दस्तावेज का निरस्तीकरण का अंकन किया गया। अपीलांट द्वारा निर्णय एवं डिक्री का निष्पादन कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर श्रियाराम उर्फ श्रीराम द्वारा अपीलांट व सूरजाराम के पक्ष दिनांक 16.07.2018 को विक्रय पत्र का पंजीयन करवा दिया गया। अपीलांट द्वारा रेस्पाडेन्ट संख्या 2 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में हुए अमल दरामद को निरस्त करते हुए अपीलांट के नाम नामान्तकरण स्वीकृत करने का प्रार्थना पत्र तहसीलदार सांगानेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। रेस्पा0 संख्या 3 द्वारा बताया गया कि रेस्पा0 संख्या 2 द्वारा खसरा नंबर 709, 710 का विक्रय दिनांक 19.03.2013 को रेस्पा0 संख्या 1 को कर दिया गया एवं रेस्पा0 संख्या एक के हक में नामान्तकरण संख्या 589 दिनांक 12.12.2013 को स्वीकृत हो चुका है। न्यायालय जिला एवं सैशन न्यायाधीश जयपुर के समक्ष प्रस्तुत दीवानी वाद 49/07 में रेस्पा0 संख्या 1 पक्षकार नहीं था वं अपीलांट द्वारा उसके पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र एवं उसके आधार पर दर्ज नामान्तकरण को चुनौती नहीं दी जा सकती है। इस आधार पर रेस्पा0 संख्या 3 द्वारा नामान्तकरण संख्या 254 दिनांक 06.11.2006 में आराजी ख.न. 709 व 710 को छोडकर नामान्तकरण निरस्त करने का अपीलाधीन आदेश 29.08.2018 पारित किया गया। प्रकरण में सिविल न्यायालय द्वारा रेस्पा0 संख्या 2 को पाबंद भी किया गया था कि रेस्पा0 संख्या 2 वादग्रस्त सम्पत्ति का किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित नहीं करे जिसके बावजूद रेस्पा0 संख्या 2 द्वारा ख.न. 709 व 710 को बेचान कर दिया गया। जो विधि एवं नियमों के विरूद्व है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.08.2018 खसरा नंबर 709 व 710 की सीमा तक अपास्त किये जाने एवं नामान्तकरण संख्या 254 दिनांक 06.11.2006 एवं

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

नामान्तकरण संख्या 589 दिनांक 12.12.2013 को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करे एवं अपीलाधीन आराजी का नामान्तकरण अपीलांट के हक में किये जाने के आदेश प्रदान करे।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि रेस्पा0 संख्या 2 द्वारा रेस्पा0 संख्या 1 के हक में ग्राम जयसिंहपुरा स्थित भूमि खसरा नंबर 709 व 710 का बेचान किए गया एवं नामान्तकरण संख्या 589 दिनांक 12.12.2013 को तस्दीक किया गया। अपीलांट के हक में माननीय सिविल न्यायालय के आदेश दिनांक11.08.2017 की पालना में नामान्तकरण संख्या 254 में से खसरा नंबर 709 व 710 को छोडकर नामान्तकरण निरस्त किए जाने के आदेश प्रदान किए गए जो न्यायोचित है। अपीलानुसार रेस्पाडेन्ट संख्या 3 को माननीय न्यायालय द्वारा पाबन्द न किया जाकर रेस्पा0 संख्या 2 को उक्त आराजीयात के अंतरित नहीं करने हेतु पाबन्द किया गया था, अपीलांट सक्षम न्यायालय में अवहेलना की कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है। न्यायालय तहसीलदार सांगानेर द्वारा न्यायालय कें समक्ष प्रस्तुत एवं उपलब्ध दस्तावेजो के आधार पर आदेश पारित किया गया है। अपील खारिज किये जाने योग्य है।

विद्वान उभय पक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई। पत्रावली का मय अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में अपीलाधीन आराजीयात का मूल खातेदार द्वारा अपीलांट व सुरजाराम के हक में विकय करने का इकरारनामा दिनांक 08.03.2002 किया। तत्पश्चात अपीलाधीन आराजीयात के मूल खातेदार श्रीराम द्वारा रेस्पा0 संख्या 2 के हक में रजि0 विकय पत्र दिनांक 28.03.2006 द्वारा भूमि का बेचान कर दिया। उक्त रजि0 विकय पत्र को अपीलांट द्वारा माननीय सिविल न्यायालय में दीवानी वाद संख्या 49/2007 प्रस्तुत किया जिसमें रेस्पा0 संख्या 2 के हक में दिनांक 28.03.2006 को निष्पादित विकय पत्र निर्णय दिनांक 11.08.2017 द्वारा निरस्त कर दिया गया। माननीय सिविल न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री अनुसार अपीलांट एवं सुरजाराम के पक्ष में श्रीराम द्वारा दिनांक 10.07.2018 को विकय पत्र पंजीयन करवा दिया गया। दौराने विचाराधीन वाद ही रेस्पा0 संख्या 2 द्वारा रेस्पा0 संख्या 1 को खसरा नंबर 709 व 710 का बेचान कर दिया एवं उक्त बेचान का रेस्पा0 सख्या 1 के हक में नामान्तकरण संख्या 589 भी तस्दीक करवा लिया। अपीलांट द्वारा रेस्पा0 संख्या 3 को अपीलाधीन आराजीयात से रेस्पा0 संख्या 2 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में हुए अमल दरामद निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिस कम में तहसीलदार सांगानेर द्वारा माननीय सिविल न्यायालय के आदेश की अनुपालना में नामान्तकरण

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

नामान्तकरण निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये गये जिसके विरूद्व न्यायालय हाजा में अपील पेश की गई है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि रेस्पा. संख्या 2 द्वारा खसरा नंबर 709, 710 का माननीय सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन होने एवं सिविल न्यायालय द्वारा आदेश अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 10.04.2009 द्वारा रेस्पा. संख्या 2 को पाबंद किये जाने के बावजूद रेस्पा. संख्या 1 के हक में बेचान किया गया। तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त जवाब अनुसार सिविल न्यायालय के आदेश दिनांक 10.04.2009 द्वारा तहसीलदार सांगानेर को अपीलाधीन आराजीयात के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया था। प्रकरण में ग्राम पंचायत जयसिंहपुरा द्वारा रेस्पा. संख्या 2 द्वारा रेस्पा0 संख्या 1 को खसरा नंबर 709, 710 का बेचान होने पर विक्रय पत्र अनुसार नामान्तकरण संख्या 589 दिनांक 12.12. 2013 तस्दीक किया है। ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक किये गये नामान्तकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है, स्वयं अपीलांट द्वारा भी तहसीलदार सांगानेर के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 28.08.2018 में खसरा नंबर 709, 710 को छोडते हुए शेष आराजींयात का नामान्तकरण खारिज कर अपीलांट के पक्ष में स्वीकार करने हेतु निवेदन किया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सांगानेर के समक्ष उपस्थित होकर आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सहमति व्यक्त की गई एवं अपीलांट की सहमति के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय/आदेश दिनांक 29/08/2018 पारित किया गया जिस पर असहमति व्यक्त करते हुये अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत करने का कोई ठोस आधार प्रस्तुत नही किया गया है। तहसीलदार सांगानेर द्वारा अपीलाधीन आदेश में खसरा नंबर 709, 710 को छोडते हुए शेष आराजीयात का नामान्तकरण निरस्त करने के आदेश दिये गये है, जो विधिसम्मत है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार सांगानेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.08.2018 में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.10.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

( इकबाल खान )
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर

(इकबाल खान)
अति. जिला कलक्टर–प्रथम
कलेक्ट्रेट, जयपुर

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) न्यायालय
सत्यमेव जयते
जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Iqbal Khan
Date: 2019.11.11 14:30:50 IST
Reason: SelfAttested
Location: